प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 14.09.2023

जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे हड़प लेने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी-चौरा के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष झंगहा के नेतृत्व में थाना झंगहा की पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 227/2023 धारा 406/420/504/506/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जय कुमार उर्फ नेहरूलाल यादव पुत्र स्व0 रामचन्द्र यादव निवासी ग्राम राघोपट्टी पड़री तिवारी टोला थाना झंगहा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा से जमीन का बैनामा करने के नाम पर लगभग 40,00000 रुपये (चालीस लाख रूपये) ले लिया गया किन्तु जमीन रजिस्ट्री नहीं किया गया। जब वादी मुकदमा अपने पैसे मांगने लगे तो अभियुक्त द्वारा उन्हे गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की धमकी दिया गया जिसपर वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जय कुमार उर्फ नेहरूलाल यादव पुत्र स्व0 रामचन्द्र यादव निवासी ग्राम राघोपट्टी पड़री तिवारी टोला थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 227/2023 धारा 406/420/504/506/34 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल –

1. उ0नि0 शुभम श्रीवास्तव थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
2. का0 अरविन्द सिंह थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
3. कां0 राजाराम वर्मा थाना झंगहा जनपद गोरखपुर